रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-19062020-220009
CG-MH-E-19062020-220009

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2020/ज्येष्ठ 28, 1942
No. 221] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2020/JYAISTHA 28, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 2 जून, 2020

सं. टीएएमपी/55/2019-पीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) के ड्राई बल्क/ब्रेक बल्क/ परियोजना कार्गो के मौजूदा निष्पादन मानक पर आधारित प्रोत्साहन/दंड स्कीम की वैधता का विस्तार का, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामल संख्या टीएएमपी/55/2019-पीपीटी

पारादीप पत्तन न्यास - - - **….. आवेदक**

गणपूर्ति

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री रतन सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जून, 2020 के 1वें दिन पारित)

यह मामला पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) के ड्राई बल्क/ब्रेक बल्क/ परियोजना कार्गो के मौजूदा निष्पादन मानक पर आधारित प्रोत्साहन/दंड स्कीम की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2. पीपीटी द्वारा यथाप्रस्तावित स्कीम में आशोधन के साथ ड्राई बल्क/ ब्रेक बल्क/ परियोजना कार्गो के मौजूदा निष्पादन मानक आधारित प्रोत्साहन/दंड स्कीम का इस प्राधिकरण ने 20 फरवरी 2020 के आदेश संख्या टीएएमपी/55/2019-पीपीटी द्वारा अनुमोदन किया था। उक्त आदेश भारत के राजपत्र में 11 मार्च 2020 के राजपत्र संख्या 108 में अधिसूचित हुआ था। उक्त आदेश में ड्राई बल्क/ ब्रेक बल्क/ परियोजना कार्गो के मौजूदा निष्पादन मानक आधारित प्रोत्साहन/दंड स्कीम की वैधता 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक एक वर्ष की अवधि के लिए थी।

3. इस पृष्ठभूमि में पीपीटी ने 12 मार्च 2020 के पत्र संख्या टीडी/टीएम/जेन-06(XXII)/920 के द्वारा निम्नलिखित निवेदन किये:

(i). 20 फरवरी, 2020 के आदेश संख्या टीएएमपी/55/2019-पीपीटी के अनुसार ड्राई बल्क/ ब्रेक बल्क/ परियोजना कार्गो के मौजूदा निष्पादन मानक आधारित प्रोत्साहन/दंड स्कीम 31/03/2020 तक वैध है।

(ii). इस संबंध में, पीपीटी के अनुषंगी अवसंरचना विकास तथा पिछले निष्पादन को सुविचार में लेते हुए ड्राई बल्क/ ब्रेक बल्क/ परियोजना कार्गो के मौजूदा निष्पादन मानक आधारित प्रोत्साहन/दंड स्कीम को 2020-21 की और उससे बाद की अवधि के लिए पुन: तैयार किया जा रहा है।

(iii). स्कीम को 01 अप्रैल, 2020 से बंद होने से बचाने के लिए, यह अनुरोध है कि चालू स्कीम की वैधता का विस्तार और 6 महीने की अवधि के लिए यानी सितंबर 2020 तक या नई स्कीम की अधिसूचना होने तक जो भी पहले हो, किया जाए।

4. चूंकि पीपीटी का ड्राई बल्क/ ब्रेक बल्क/ परियोजना कार्गो के मौजूदा निष्पादन मानक आधारित प्रोत्साहन/दंड स्कीम 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई है और पीपीटी को दायर किये जाने वाले प्रस्ताव को तैयार करने में कुछ समय लगेगा और स्कीम के 1 अप्रैल 2020 से बंद होने से बचने के लिए यह उपयुक्त समझा जाता है कि ड्राई बल्क/ ब्रेक बल्क/ परियोजना कार्गो के मौजूदा निष्पादन मानक आधारित प्रोत्साहन/दंड स्कीम की वैधता का विस्तार 31 मार्च 2020 से आगे किया जाए।

5.1 परिणाम में, और ऊपर दिये गए कारणों से तथा सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण पीपीटी की ड्राई बल्क/ ब्रेक बल्क/ परियोजना कार्गो के मौजूदा निष्पादन मानक आधारित प्रोत्साहन/दंड स्कीम की वैधता का विस्तार 6 महीने की अवधि के लिए यानी 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक या पीपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रस्ताव के आधार पर संशोधित मानक आधारित प्रोत्याहन/दंड स्कीम के प्रभावी होने तक, जो भी पहले हो, किया जाता है।

5.2 पीपीटी को ड्राई बल्क/ ब्रेक बल्क/ परियोजना कार्गो के मौजूदा निष्पादन मानक आधारित प्रोत्साहन/दंड स्कीम के 2020-21 या इससे आगे की अवधि के लिए की समीक्षा का प्रस्ताव 30 जून, 2020 तक हर हाल में दायर करने की सलाह दी जाती है।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन–III / 4 / असा. / 69 / 2020–21]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd June, 2020

No. TAMP/55/2019- PPT.—In exercise of the powers conferred under Sections 48 & 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Performance Norm based Incentive/Penalty Scheme for Dry Bulk / Break Bulk / Project Cargo of Paradip Port Trust, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No.TAMP/55/2019-PPT

The Paradip Port Trust - - - ….. Applicant

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

O R D E R

(Passed on this 1st day of June 2020)

This case relates to the extension of existing Performance Norm based Incentive/Penalty Scheme for Dry Bulk / Break Bulk / Project Cargo of Paradip Port Trust (PPT).

2. The existing Performance Norm based Incentive/Penalty Scheme for Dry Bulk / Break Bulk / Project Cargo with modification in the scheme as proposed by the PPT has been approved by this Authority vide Order No. TAMP/55/2019-PPT dated 20 February 2020. The said Order was notified in the Gazette of India on 11 March 2020 vide Gazette No. 108. The Order prescribed the validity of the Performance Norm based Incentive/Penalty Scheme for Dry Bulk / Break Bulk / Project Cargo of PPT for a period of one year from 01 April 2019 till 31 March 2020.

3. In this backdrop, the PPT vide its letter no. TD/TM/GEN-06(XXII)/920 dated 12 March 2020 has submitted as follows:

(i). As per the Order no. TAMP/55/2019-PPT dated 20 February 2020, the Performance Norm based Incentive/Penalty Scheme for Dry Bulk / Break Bulk / Project Cargo is valid up to 31.03.2020.

(ii). In this connection, the performance norm based incentives / penalty scheme for dry bulk / break bulk / project cargo for the period 2020-21 and beyond is being reframed taking into consideration the allied infrastructure development of PPT and past performance.

(iii). In order to avoid discontinuation of scheme w.e.f. 1 April 2020, it is requested to extend the validity of the current scheme for another period of 6 months i.e. upto September 2020 or till notification of new scheme, whichever if earlier.

4. Since the validity of the existing Performance Norm based Incentive/Penalty Scheme for Dry Bulk / Break Bulk / Project Cargo of PPT expires on 31 March 2020 and considering the time required for processing the proposal to be filed by PPT and in order to avoid a discontinuation of scheme w.e.f. 1 April 2020, it is felt appropriate to extend the validity of the existing Performance Norm based Incentive/Penalty Scheme for Dry Bulk / Break Bulk / Project Cargo of PPT beyond 31 March 2020.

5.1 In the result and for the reasons given above, and based on collective application of mind, this Authority extends the validity of the existing Performance Norm based Incentive/Penalty Scheme for Dry Bulk / Break Bulk / Project Cargo of PPT for a period of six months i.e. from 1 April 2020 to 30 September 2020 or until the revised performance norm based incentive/penalty scheme based on the proposal to be filed by PPT, comes into effect, whichever is earlier.

5.2 The PPT is advised to file its proposal for review of the performance norm based Incentive/ Penalty Scheme for Dry Bulk/ Break Bulk/ Project Cargo, for the period 2020-21 and beyond, latest by 30 June 2020.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./69/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.06.19 19:06:04 +05'30'